

॥आदेश॥

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या-35/2026/1/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में योजना हेतु रू० 24-00 करोड़ को बजट प्राविधान किया गया है। उक्त के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ०प्र०पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

जोन का नाम	मृतक / व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
लखनऊ	स्व० श्री पवन कुमार सोनी	सर्वश्री वासु इलेक्ट्रिकल्स, लखनऊ	09-11-2025	06-02-2026	श्रीमती सुनन्दा सोनी, पत्नी	10.00 लाख
प्रयागराज	स्व० श्री प्रवीण कुमार सिंह	सर्वश्री प्रवीण इण्टर प्राइजेज, प्रतापगढ़	06-02-2026	14-05-2026	श्रीमती अंकिता अरविन्द सिंह, पत्नी	10.00 लाख

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, लखनऊ-प्रथम एवं प्रयागराज को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, लखनऊ-ए एवं प्रयागराज-ए को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमती पूर्णिमा
दिनांक 27-07-2026

दिनांक 27-07-2026